राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2/एफ–1414/2023/02 दिनांकः– 02/01/2024

आदेश

श्रीमती खुशबू मंसूरी द्वारा दिनांक 24.11.2023 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती–2023 की अंतरिम वरीयता सूची दिनांक 07.10.2023 में स्वयं का नाम नहीं आने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 17829/2023 खुशबू मंसूरी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

मननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2023 को पारित आदेश का मुख्यांश निम्न प्रकार है:–

"In view of the aforesaid, the present writ petition is disposed of with a direction to the petitioner to file a fresh representation along with photostat copy of the earlier representation and a certified copy of the order instant within a period of two weeks.

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the respondents shall consider and decide the same in accordance with law within a period of eight weeks from the date of receipt of the representation.

It is, however, made clear that the direction to decide petitioner's representation has been issued only with a view to ensure expeditious redressal of his grievance and the same may not be construed to be a direction to decide it in a particular manner."

मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2023 के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता के प्रकरण का परीक्षण किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती–2023 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) में आईडी संख्या NO188786 द्वारा ओबीसी एनसीएल (महिला) वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में इन्हें दिनांक 05.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया।

याचिकाकर्ता ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मनसा, जिला–नीमच (मध्य प्रदेश) द्वारा पिता श्री ख्वाजा हुसैन मंसूरी के नाम सहित जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2021 प्रस्तुत किया जिसमें याचिकाकर्ता के पिता श्री ख्वाजा हुसैन मंसूरी को मध्य प्रदेश राज्य का निवासी दर्शाया है।

कार्मिक विभाग की राय/टिप्पणी दिनांक 06.06.2016 के अनुसार नियमानुसार राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम सहित जारी जाति प्रमाण पत्र होने पर ही आरक्षण का लाभ देय है, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से होता है।

यहां यह भी आलोक में लाना आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 8425/2013 रंजना कुमारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 01.11.2018 को निर्णय पारित किया है जिसके अनुसार संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम सहित जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही उसी राज्य में आरक्षण का लाभ देय है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डीबी स्पेशल अपील संख्या 1960/2018 राजस्थान राज्य बनाम चित्रा देवी एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 13.08.2018 को आदेश पारित कर डीबी याचिका को राज्य पक्ष में निर्णित किया है व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 277/2021 डामोर सविता बेन बनाम सरकार व अन्य एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 व एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 18320/2019 दाशी देवी डामोर बनाम सरकार व अन्य एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2021 को निर्णय पारित कर याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता के प्राप्तांको का कुल औसत 68.958 प्रतिशत (53.958 + 15 बोनस) बनते है। उक्त भर्ती के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 07.10.2023 को नर्सिंग ऑफिसर (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के पदों हेतु जारी अंतरिम वरीयता सूची में अनारक्षित (महिला) वर्ग में अंतिम अभ्यर्थी के अंक

RajKaj Ref
5101937

प्रतिशत से याचिकाकर्ता के औसत प्राप्तांक प्रतिशत कम है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता उक्त अंतरिम वरीयता सूची में स्थान बनाने में असफल रही है।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित निर्णयों/आदेशों के सन्दर्भ में मै याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2023 की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2023 पर विचारोपरान्त पाता हूँ कि याचिकाकर्ता को नियमानुसार जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2/एफ–1414/2023/02 दिनांकः– 02/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. डॉ. बी.एम. स्वर्णकार, विशेषाधिकारी (विधि), कार्यालय संयुक्त निदेशक, जोन–जोधपुर एवं स्टेंडिंग केस प्रभारी अधिकारी।
5. याचिकाकर्ता खुशबू मंसूरी पत्नि मौ. वसीम पिंजारा, कनेरा, चित्तौडगढ, राजस्थान पिन–312606 पर डाक द्वारा।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5101937

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh Kumar Nawal
Designation: Director
Date :22-12-2023 10:10:42

LETTER SS 3